न्यायालय जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

राजस्व अपील :: 48/2024

जीसीएमएस नम्बर :: 2024/214

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स :–
बुद्धाराम पुत्र श्री घीसाराम, जाति हरिजन, निवासी बिठू, तहसील रोहट जिला पाली (राज.)		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रोहट जिला पाली।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना
सरकारी पैरोकार उपस्थित

–:: नि र्ण य ::–

दिनांक :– **16.12.2024**

अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार रोहट के प्रकरण संख्या 77/2024 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई। अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना वक्त बहस उपस्थित हुये। सरकारी पैरोकार उपस्थित। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने वक्त बहस अपने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि मौजा ग्राम बीठू के खसरा संख्या 137 रकबा 0.2671 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन मंदिर की भूमि में से रकबा 0.005 हैक्टेयर भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है जबकि प्रार्थी का जैर आराजी पर कब्जा ग्राम पंचायत बीठू की आबादी भूमि में स्थित अपने पैतृक पुश्तैनी मालिकाना, पट्टाशुदा, कब्जाशुदा मकान पर अपने जन्म से काबिज है और रहवास व उपयोग करता आ रहा है। जैर आराजी का ग्राम पंचायत बिठू द्वारा संकल्प संख्या 10 दिनांक 04.05.1965 की पालना में अपीलार्थी के पिता घीसाराम वल्द पुराराम हरिजन के पक्ष में जारी किया गया है व उक्त आराजी पर ही अपीलार्थी अपने जन्म से रहवास, कब्जा उपयोग–उपभोग कायम था और आज भी कायम है परन्तु रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमी मानते किया हुआ जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। अपीलार्थी ग्राम पंचायत द्वारा विक्रीत आराजी पर मकान बनाकर काबिज है, अतः अपीलार्थी का कब्जा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की डबल बैन्च द्वारा डी.बी. सिविलं रिट पिटीशन संख्या 4653/1993 में पारित निर्णयं दिनांक 02.12.2005 एवं डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 948/1999 में पारित निर्णय दिनांक 02.04.2002 में दी गई फाईडिंग अनुसार उक्त कब्जे को अनाधिकृत नहीं माना जा सकता एवं उक्त निर्णय में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि तहसीलदार द्वारा धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत कार्यवाही केवलमात्र trespassers के विरूद्ध संस्थित की जा सकती है। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी बुद्धाराम का कब्जा ग्राम पंचायत बीठू द्वारा उसके पिता श्री घीसाराम के पक्ष में जारी पट्टा के आधार पर है। अतः जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है। उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में अपीलार्थी द्वारा खसरा संख्या 137 की 0.005

जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner

हैक्टेयर भूमि पर कृषि वर्ष 2081 के दौरान अनाधिकृत कोई अतिचार करने बाबत् तथ्य साबित नहीं है और धारा 91 की कार्यवाही बिना अधिकारिता के है। उपरोक्त मकान अपीलार्थी का पैतृक पुश्तैनी पट्टासुदा मकान है, जिस पर अपने पिताजी के जीवनकाल से अपीलार्थी का रहवास, कब्जा व उपयोग–उपभोग कायम है। साथ ही जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर भी प्रदान नहीं किया। अतः तहसीलदार रोहट द्वारा पारित जैर अपील आदेश विधि विरूद्ध होने से काबिले खारिज है।

सरकारी पैरोकार ने अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि जैर अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलाण्ट को पर्याप्त सुनवाई व जवाब का अवसर दिया गया है व जैर आदेश अपीलाण्ट का गैर मुमकिन मन्दिर की भूमि पर अतिक्रमण होने से पूर्णतया नियमानुसार ही पारित किया गया है। अतः अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत जैर अपील सारहीन बलहीन होने से सव्यय खारिज फरमावे।

प्रकरण में श्रवणशुदा बहस एवं पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर मनन करने पर पाया कि प्रकरण में अपीलाण्ट का मुख्य उज्र यह है कि उसे गैर मुमकिन मंदिर की भूमि का अतिक्रमी मानकर बेदखली का जैर अपील आदेश पारित किया गया है। उससे रूष्ट होकर जैर अपील, अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत की है। :

प्रकरण में उभयपक्षों की समायतशुदा बहस व प्रस्तुत न्यायिक नजीरों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि जैर आराजी का कुल रकबा 0.2671 हैक्टेयर है तथा अपीलार्थी के कमजोर वर्ग के व्यक्ति के पास सिर्फ 50 वर्गमीटर भूमि पर मकान का अतिक्रमण है तथा उसका भी उसके पास पंचायतं द्वारा जारी किया हुआ पट्टा है। अपीलाण्ट द्वारा पेश की गई न्यायिक नजीरों के दृष्टिगत यह वांछनीय है जिसकी की किस्म गैर मुमकिन मंदिर है वह आबादी के निकट है अथवा नहीं तथा अपीलाण्ट के पास उपलब्ध पट्टा आबादी भूमि में स्थित है अथवा मंदिर की भूमि में है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों एवं अपीलाण्ट के पास उपलब्ध पट्टा का पंचायत से सत्यापन कर इस प्रकरण में निर्णय किया जाना वांछनीय है, जो तहसीलदार रोहट द्वारा नहीं किया गया है। अतएव उक्त प्रकरण में सुव्यवस्थित सीमा जानकारी एवं अपीलाण्ट के पास उपलब्ध पट्टे का सत्यापन कर उभयक्ष को सुनकर पुनः प्रकरण में निर्णय पारित करने को प्रकरण तहसीलदार रोहट को प्रति–प्रेषित किया जाता है तथा उसके द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.11.2024 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 77/2024 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड निर्णय की सत्यप्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक **07.01.2025** को प्रस्तुत हो एवं पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे।

निर्णय आज दिनांक **16.12.2024** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner